

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]
No. 110]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936
DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 86
[N.C.T.D. No. 86

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

सं.फा. 19(38)/परि/सचि./2011/176.—जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिये कुछेक नियमों का प्रारूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 2 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या 19/38/परि/सचि./2011/87 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग—IV असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाले दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां तथा सुझावों पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विचार किया गया था;

अतः अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) और धारा 212 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 129 के द्वितीय परन्तुक तथा धारा 138 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (तृतीय संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. **नियम 115 का संशोधन** :- दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 115 के उप-नियम (2) में शब्द "महिलाओं" के स्थान पर शब्द "सिक्ख महिलाओं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th August, 2014

No. F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/176.—Whereas the draft of certain rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 was published as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), by the Government of National Capital Territory of Delhi, vide notification number F.19(38)/Tpt./Sectt./2011/87, dated the 2nd May, 2014 in the Delhi Gazette Part-IV, Extraordinary inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect on the said draft have been considered by the Government of National Capital Territory of Delhi;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the second proviso to Section 129 and clause (i) of sub-section (2) of Section 138, read with clause (41) of Section 2 and sub-section (2) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:—

1. (1) **Short title and commencement** :—These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of rule 115** :—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in sub-rule (2) of rule 115 for the word "Women" the words "Sikh Women" shall be substituted.

सं.फा. सचि./ 11/75/परि./1997/पार्ट-1/175.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अभय सिंह बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में एसएलपी (सी) संख्या 25237/2010 में तथा अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में एसएलपी (सी) संख्या 23984/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के आदेश के अनुसरण में तथा पूर्व प्रकाशन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन), नियमावली, 2014 कहा जायेगा।
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. नियम 97 का संशोधन :—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 97 के उप-नियम (2) में —

- (1) खंड (क) में "लालबत्ती" शब्दों के लिये "बहुरंगी, नीली या सफेद बत्ती" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (2) खंड (घ) में "परिवहन विभाग वाहनों" शब्दों के लिये "परिवहन विभाग के प्रवर्तन वाहनों" तथा "नीली" शब्द के लिये "बहुरंगी, नीली या सफेद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (3) खंड (च) को हटाया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ज्ञानेश भारती, आयुक्त (परिवहन)

No. F. Sectt./11/75/Tpt/1997/Part-1/175.—In exercise of the powers conferred by section 111 read with section 212 and clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in pursuance of the Hon'ble Supreme Court of India order dated 10th December, 2013 in SLP NO.(C) No. 25237/2010 in the matter of Abhay Singh versus State of Uttar Pradesh and others with SLP (C) No. 23984/2010 in the matter of Abhay Singh versus Union of India and another and after previous publication, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 97.—In sub-rule (2) of rule 97 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993,—

- (1) In clause (a) for the words "red light", the words "multicoloured, blue or white light" shall be substituted.
- (2) In clause (d) for the words "Transport Department Vehicles", the words "enforcement vehicles of the Transport Department" and for the words "blue" the words "multicoloured, blue or white" shall be substituted.
- (3) Clause (f) shall be omitted.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
GYANESH BHARTI, Commissioner (Transport)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

सं.फा.16(204)/यूडी/जल/2011/410.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (एम) (क्लाज-एम) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 27.09.2011 के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड में वरिष्ठ क्लोरिनेटर के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती एवं पदोन्नति विनियमों को सामान्य सूचना हेतु एतद्वारा नीचे प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड में वरिष्ठ क्लोरिनेटर ऑपररेटर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति विनियम।

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :—इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में वरिष्ठ क्लोरिनेटर ऑपररेटर के पद के भर्ती और पदोन्नति विनियम, 2014 कहा जाएगा।

2. **लागू होना** :-ये विनियम संलग्न अनुसूची के कालम संख्या 1 में वर्णित पद के लिए लागू होंगे ।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं**:- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
5. **अयोग्यताएं**:- वह व्यक्ति
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह कर लिया है, अथवा करार किया है, अथवा
 - (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

परन्तु दिल्ली जल बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है एवं इस विवाह को करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस विनियम से मुक्त कर सकता है ।
6. **नियमित सेवा** :-किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है उक्त ग्रेड में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के द्वारा उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि या अवधियाँ इसमें उनके अवकाश पर रहने अथवा ऐसे पद को संभालने के लिए उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद को न संभाल पाने की अवधि अथवा अवधियाँ भी सम्मिलित होंगी ।
7. **शिथिलता प्रदान करने की शक्ति** :-जहाँ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समाचीन है, वह आदेश देकर, लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति को इन विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर सकती है ।
8. **बचाव** :- इन विनियमों से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये इस बारे में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण एवं अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी ।
9. उक्त पद हेतु पहले बनाए गए विनियम निरस्त हो जाएंगे ।

अनुसूची

1.	पदनाम	: वरिष्ठ क्लोरिनेटर ऑपररेटर
2.	पदों की संख्या	: 9* (2014) *इसमें परिवर्तन कार्यगार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	: वर्ग "ग"
4.	वेतनमान	: पे बैंड- I में रुपये 5200-20,200 व ग्रेड पे रुपये 2400 सहित ।
5.	चयन अथवा गैर चयन	: चयन ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	: लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	: लागू नहीं ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु एवं वांछित योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी।	: लागू नहीं ।
9.	परवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: लागू नहीं ।
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत	: पदोन्नति द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / संविलयन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / संविलयन किया जाना है	: पदोन्नति : नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त ग्रेड में पे बैंड-I में वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1900 रुपये सहित 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले क्लोरिनेटर ऑपररेटर ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो	: वर्ग 'ग' (पदोन्नति के लिए विचार हेतु विभागीय पदोन्नति समिति)

	इसकी संरचना क्या है?		1. निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक) : अध्यक्ष 2. सदस्य (तकनीकी) अर्थात् अधिवासी अभियन्ता : सदस्य 3. सहायक आयुक्त (जल) : सदस्य 4. संबंधित सहायक आयुक्त/प्रशा. अधिकारी : सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रकाश चन्द्रा, संयुक्त सचिव (एमबी)

**URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATIONS**

Delhi, the 28th August, 2014

No. F. 16 (204)/UD/W/2011/ 410.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of Section 109 read with Sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 Delhi Act No. 04 of 1998) *vide* Competent Authority orders dated 10-02-2012 necessary for appointment to the post of Senior Chlorinator Operator in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information:

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR CHLORINATOR OPERATOR IN DELHI JAL BOARD, DELHI

1. **Short title and commencement.**—These regulations may be called the Senior Chlorinator Operator in Delhi Jal Board Recruitment and Promotion Regulations, 2014.
2. **Application.**—They shall apply to the post specified in column 1 of the schedule hereto annexed.
3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
5. **Disqualifications.**—No person,—
 - (a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with person;
 shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. **Regular service.**—“Regular service” in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long-terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

3428 20/14-2

7. **Power to Relax.**—Where the Government of National Capital Territory of Delhi is in the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. The earlier Regulation relating to the said post shall stand superseded.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Senior Chlorinator Operator	09* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'C'	PB-1 Rs. 5200-20,200 (Grade pay Rs.2400).	Selection	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of vacancy to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8.	9.	10.	11.	12.	13.
Not Applicable.	Not applicable	By Promotion	Promotion:- Chlorinator Operator with 08 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-1 in scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900.	Group 'A' DPC (for Promotion) 1. Director (Adm & Personnel) : Chairman 2. Member (Technical i.e. Executive Engineer) : Member 3. Assistant Commissioner (Water) : Member 4. Asstt. Commissioner/ Admn. Officer Concerned : Secretary	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

PRAKASH CHANDRA, Jt. Secy. (MB)

अधिसूचना

फा. सं. 22 (12)/2000/यूडी/पा.फाई./4200-4208.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्वारा सुश्री राज रानी मित्रा, उच्च न्यायिक सेवा

की अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 347क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

No. 22/12/2000/UD/PF/4200-4208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Government hereby appoints **Ms. Raj Rani Mittra**, an officer of Delhi Higher Judicial Service, on deputation basis for a period of one year with effect from the date of this Notification, as Presiding Officer of Appellate Tribunal constituted by the Government under sub-section (1) of Section 347A of the above said Act.

फा.सं. 22 (12)/2000/यूडी/पा.फाई./4184-92.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगमों के क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत क्षेत्रों के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 अथवा धारा 347ख के अन्तर्गत दायर अपीलों पर निर्णय के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. पी. मीणा, अपर निदेशक स्थानीय निकाय

F. No. 22/12/2000/UD/PF/4184-92.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Government hereby constitutes an Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under section 343 or section 374 B of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, for the areas falling within the territorial limits of North, South and East Delhi Municipal Corporations of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

R. P. Meena, Addl. Director of Local Bodies